# समाहरणालय, बक्सर

## (राजस्व शाखा)

पत्रांक 03-0753 /रा0,

प्रेषक,

समाहर्त्ता, बक्सर

सेवा में,

निदेशक,<br>सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,<br>बिहार पटना।

बक्सर, दिनांक 24/ 03 /2020

विषय : अति अल्पकालीन विज्ञापन का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिलान्तर्गत **नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर एवं प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी** की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष **2020—21** में किये जाने हेतु **अति अल्पकालीन विज्ञापन** की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि **नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर एवं प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी** की बंदोबस्ती हेतु **अति अल्पकालीन विज्ञापन** किन्ही दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : सॉफ्ट कॉपी एक अदद।<br>हार्ड कॉपी 5 (पाँच) प्रति।

24/3/2020<br>समाहर्त्ता, बक्सर

# समाहरणालय, बक्सर
## (राजस्व शाखा)

पत्रांक ............................ /रा0,

प्रेषक,

समाहर्त्ता, बक्सर

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार पटना।

बक्सर, दिनांक / /2020

विषय : अति अल्पकालीन विज्ञापन का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिलान्तर्गत **नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर एवं प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी** की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष **2020–21** में किये जाने हेतु **अति अल्पकालीन विज्ञापन** की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि **नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर एवं प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी** की बंदोबस्ती हेतु **अति अल्पकालीन विज्ञापन** किन्ही दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : सॉफ्ट कॉपी एक अदद।
हार्ड कॉपी 5 (पाँच) प्रति।

समाहर्त्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03-0752/रा0 दिनांक 24/03/2020

प्रतिलिपि : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि विज्ञापन का प्रकाशन करने हेतु हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 विभाग को हस्तगत कराकर प्रकाशित विज्ञापन की प्रेस कतरन की प्रति जिला राजस्व शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चत करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3/2020

समाहर्त्ता, बक्सर

# समाहरणालय, बक्सर (राजस्व शाखा)

## अति अल्पकालीन विज्ञापन

बक्सर जिलान्तर्गत वर्ष **2020–21** के लिए निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती जिसकी अवधि **01** अप्रैल, **2020** से आरम्भ होगी उनके नाम के सामने अंकित सुरक्षित जमा राशि एवं बन्दोबस्ती राशि पर दिनांक **31.03.2020** को **01:00** बजे अपराह्न में समाहर्त्ता, बक्सर के कार्यालय कक्ष में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को बन्दोबस्ती की कार्रवाई पूरी नहीं होने पर अगली अनुवर्त्ती तिथि दिनांक **04.04.2020, 08.04.2020** एवं **13.04.2020,** को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति सुरक्षित जमा राशि का **25** प्रतिशत जमानत की राशि जिला नजारत में जमा कर डाक बोली में भाग ले सकते है।

| क्र0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | सुरक्षित जमा का 25 प्रतिशत जमानत की राशि |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर | **2,46,331.00** | **61,583.00** |
| 2 | प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी | **1,74,703.00** | **43,676.00** |

बन्दोबस्ती की शर्ते निम्नलिखित है :–

(1) उपरोक्त सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष **2020–21** के लिए की जायेगी।

(2) बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी के मंजूरी से की जायेगी।

(3) जमानत की राशि डाक बोली से पूर्व जिला नजारत, बक्सर में जमा कर नाजीर रसीद डाक के समय प्रस्तुत करना होगा।

(4) नियमानुसार बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि एक मुश्त में बन्दोबस्ती समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

(5) डाकवक्ता को सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–536 (9/रा0) दिनांक 10.06.2019 के आलोक में उच्चतम डाकबोली की राशि पर देय स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत (यानि कुल 8 प्रतिशत) राशि बन्दोबस्ती प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात जमा करना होगा।

(6) जिस ठीकेदार या डाकवक्ता के पास किसी प्रकार की सरकारी बकाया होगा वे डाकबोली में भाग नहीं ले सकते है।

(7) डाकवक्ता को अनुमण्डल पदाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। ये शर्ते नाव यातायात समिति पर भी लागू होगा। जहॉ तक राजकीय अधिनियम अन्यथा स्पष्ट रूप से विरोध न हों।

(8) नाव घाट के बन्दोबस्तधारी को बंगाल फेरी मैनुअल के अन्तर्गत बने नियमों को सख्ती से पालन करना होगा।

(9) नाव घाट के बन्दोबस्तधारी को दण्डाधिकारी के आदेशानुसार घाट के किनारे समुचित विश्राम गृह या मुसाफिर खाना का व्यवस्था अच्छी हालत में करना होगा। यात्रियों तथा माल / पशुओं के यातायात के लिए घाट नावीं पर स्थान की समुचित व्यवस्था करेंगे।

(10) बन्दोबस्तधारी को दण्डाधिकारी के समाधान के अनुरूप घाट के दोनों तरफ तिरती जैटिया की व्यवस्था करेंगे और उन्हे खिसकाते रहेंगे।

(11) ठीकेदार को घाट का समुचित संचालन करने हेतु पर्याप्त मात्रा में बडी नावे आच्छी हालत में तथा उन नावों पर अनुभवी नाविको की व्यवस्था करना होगा तथा घाट पर सूचना पट्ट रखना होगा जिसमें नावों की संख्या, घाटवाही का दर अंकित होगा जो समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(12) नियमानुसार समितियों को बन्दोबस्ती में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए निबंधित समितियों को सहकारिता विभाग से अनुशंसा एवं बकाया रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी नाव दुर्घटनाओं से बचाव के सभी उपायों का अक्षरशः पालन कराना बन्दोबस्तधारी के लिए नितान्त आवश्यक होगा।

(14) किसी पर्व त्योहार या बाढ़ के समय यात्रियो तथा माल आदि ढोने के लिए जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बन्दोबस्तधारी को अतिरिक्त पावर बार्ज तथा नावों की व्यवस्था करनी होगी।

(15) ठीकेदार को घाटवाही उगाही का दर एवं आने तथा जाने का समय सूचना पट्ट पर अंकित करना होगा। साथ ही हर नाव में कितने नाविक बहाल होगें एवं हर नाव हर नाव पर प्राधिकृत से अधिक से अधिक कितने यात्री एवं पशु तथा कितने वजन के माल ढोये जा सकेंगें का पूर्ण व्योरा अंकित करना होगा।

(16) अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि डाक मंजूरी करने से पहले डाक बोलने वाले की माली हालत एवं हैसियत का पता लगा लें।

(17) वर्षा एवं बाढ़ अथवा सुखाड़ के कारण घाट तक आने के लिए ठीकेदार को उचित प्रबंध करना होगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का छूट देय नहीं होगा।

(18) डाक / बन्दोबस्ती की कार्रवाई बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार समाहर्त्ता के पास सुरक्षित रहेंगा।

समाहर्त्ता, बक्सर